सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 78 /सो.आ.नि.–3/503/2020
दिनाँकः 02 जून, 2021

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **कोविड–19 महामारी अवधि में महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में समवर्ती सोशल आडिट (Concurrent Social Audit) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अनुसचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पत्र सं0 M-11015/03/2020-RE-III(371554) दिनांक 15–07–2020 द्वारा समवर्ती सोशल आडिट (Concurrent Social Audit) सम्पादित करने हेतु मार्गनिर्देश निर्गत किए गए है, जिसके क्रम में निम्नांकित शर्तों एवं निर्देशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनरेगा योजना अन्तर्गत समवर्ती सोशल आडिट हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है :–

(1) समवर्ती सोशल आडिट के अन्तर्गत सोशल आडिट यूनिट द्वारा माह में चल रहे सभी कार्यों की सोशल आडिट की जाएगी।

(2) सोशल आडिट यूनिट द्वारा समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को कैलेण्डर प्रेषित किया जाएगा। कैलेण्डर की एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने हेतु सोशल आडिट रिसोर्स पर्सन्स द्वारा, कराए गए कार्यों एवं व्यय की गई धनराशि का परीक्षण सप्ताह के निर्धारित दिवस को किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यकतानुसार अभिलेखों की प्रतियॉ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) समवर्ती सोशल आडिट, रिसोर्स पर्सन्स द्वारा निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में की जाएगी।

(5) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा निर्माणाधीन कार्यों के स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें समवर्ती सोशल आडिट के मानको के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(6) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा ग्राम पंचायत में, माह में चल रहे सभी निर्माणाधीन कार्यों की समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी तथा देखा जाएगा कि मानक के अनुसार अभिलेखों का रख रखाव एवं निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(7) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा यह भी देखा जाएगा कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली धनराशि अधिनियम के अनुसार उन्हें मिल रही है या नहीं।

(8) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा अपनी रिपोर्ट की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी।

समवर्ती सोशल आडिट के समय कोविड–19 के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया जाना

(1) समवर्ती सोशल आडिट के लिए समुदाय से सम्पर्क के समय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

(2) समवर्ती सोशल आडिट के समय प्रशासन/विभाग/प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों का शत्–प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य है।

(3) भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय अथवा प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/एडवाईजारी का पूर्णतया पालन किया जाना अनिवार्य है।

(4) समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त नियमों व निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, किसी भी परिस्थिति में प्रदेश शासन द्वारा महामारी के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अतिक्रमण न किया जाए।

रिर्पोटिंग

(1) समवर्ती सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन को नियमित सोशल आडिट की तरह ही रिपोर्ट किया जाएगा।

2– उपरोक्तानुसार समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित कार्ययोजना बनाई गई है:–

(1) ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के माध्यम से प्रत्येक विकास खण्ड में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु इंगेज सोशल आडिट टीम सदस्यों का एक दिवसीय समवर्ती सोशल आडिट विषयक प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में दिनांक 16–06–2021 से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था जिला विकास अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जिन जनपदों में किसी कारणवश सोशल आडिट टीमों का पैनल तैयार नहीं हो पाया है वहां के जिला विकास अधिकारियों से अनुरोध है कि शीघ्रतापूर्वक टीमों के चयन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत टीम सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करा लें, जिससे समवर्ती सोशल आडिट प्रक्रिया प्रारम्भ करने में किसी प्रकार के व्यवधान की सम्भावना उत्पन्न न हो।

(2) ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण में टीम सदस्यों को एक दिन के मानदेय के रूप में रू0 175/– दिये जायेंगे तथा भोजन/नाश्ता दिया जाएगा। स्टेश्नरी के रूप में टीम सदस्यों को एक फोल्डर, पेन, पैड तथा सोशल आडिट प्रतिवेदन का प्रारूप दिया जाएगा। जिला विकास अधिकारियों को इसके लिये बजट का आबंटन शीघ्र किया जाएगा।

(3) प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बड़ी संख्या तथा माह में चल रहे सभी निर्माणाधीन कार्यों का एक बार निरीक्षण करने के निर्देश को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में इंगेज किए गए टीम सदस्यों में से 2 सदस्यों की एक समवर्ती सोशल आडिट टीम बनाई जाएगी जिसमें यथासम्भव एक सदस्य पूर्व में

सोशल आडिट अनुभव प्राप्त तथा एक नवचयनित सदस्य होगा। इन 2 सदस्यों द्वारा सोशल आडिट निदेशालय द्वारा निर्गत किए गए सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक बुद्धवार एवं शुक्रवार को आबंटित ग्राम पंचायत में समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी। समवर्ती सोशल आडिट प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रारूप का मुद्रण जिला विकास अधिकारी द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए धनराशि सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) टीम सदस्यों द्वारा आडिट रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उसी दिन दी जाएगी, जिसकी एक प्रति ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को तथा मूल रिपोर्ट अगले कार्यदिवस को जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उपलब्ध कराई जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
2/6/21
(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक– /सो0आ0नि0–3/503/2020 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, राज्य स्तरीय मनरेगा सेल, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0।
4– समस्त उपायुक्त (मनरेगा), (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक